R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part 1st
Paper — IInd
Constitutional Law

संविधान की प्रस्तावना

प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या वे किन उच्चादर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सब को जानने का माध्यम प्रस्तावना ही होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है—

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को — सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

Scanned with CamScanner

संविधान के स्रोत :- प्रस्तावना में प्रयुक्त "हम भारत के लोग – इस संविधान को अंगीकृत करते हैं" पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। इसका तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है।

प्रभुता सम्पन्न :-

"प्रभुत्वसम्पन्न" शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत आंतरिक या बाह्य रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।

'लोकतन्त्रात्मक' शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है।

धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 'धर्मनिरपेक्ष' राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है।

समाजवाद शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है।

अखण्डता :- यह अवधारणा संविधान की संघात्मक प्रकृति में निहित है।

गणतंत्र शब्द से स्पष्ट है कि भारत में वंशानुगत राजा की परम्परा का अन्त हो गया है। भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए चुना जाता है। देश की

Scanned with CamScanner

(3)

समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किन्तु वह उसका प्रयोग मंत्रिमण्डल की परामर्श से करता है।